



2026:AHC:48864

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 972 वर्ष 2026

श्रीमती पूनम

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: संतोष कुमार शुक्ला, सौरभ शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

कोर्ट नंबर - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. शुक्ला, ग्राम पंचायत की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह, और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।

2. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(ए) मैडेमस की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, यानी प्रयागराज स्थित यूपी. राजस्व बोर्ड को यह निर्देश दिया जाए कि वह यूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत, केस संख्या आरईवी/5286/2024 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या एएल20241667005286) (श्रीमती पूनम देवी बनाम ईश्वर चंद्र और अन्य) का निर्णय, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करे।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह निवेदन किया कि यूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के तहत कार्यवाही में दिनांक 26.11.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता की ओर से दायर उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या आरईवी/5286/ 2024 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एएल 20241667005286), दिनांक 17.12.2024 से ही प्रत्यर्थी संख्या 2, राजस्व परिषद यूपी. प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे आदेश-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जिसे रिट

WRIB संख्या 972 / 2026

2

याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह याचिका अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 - राजस्व बोर्ड, यूपी. प्रयागराज, उपर्युक्त **पुनरीक्षण संख्या आरईवी /5286/2024 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या एएल20241667005286)** का निर्णय कानून के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से **तीन महीने** की अवधि के भीतर, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,)

10 मार्च, 2026

पीएस*

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।